

राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में  
संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिए आवेदन प्रारूप

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम
2. पिता का नाम
3. जन्म तिथि
4. अर्हताएं
5. मूल विभाग का नाम
6. सेवानिवृत्ति के पूर्व धारित पद
7. अनुभव
8. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैंड वेतन + ग्रेड पे)  
(एलपीसी संलग्न है)
9. मूल पेंशन राशि (पीपीओ संलग्न)
10. धारित पद का वेतनमान  
(सेवानिवृत्ति के समय)
11. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र  
(संलग्नानुसार)

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए  
वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लगाने के लिए राज्य सरकार के परिपत्र सं. F.17(10)DOP/A-T/ दिनांक 8/2/18 में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

जयपुर:

दिनांक:

सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी  
के हस्ताक्षर